भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4751

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

कैशलेस चिकित्सा योजना

†4751. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां यह योजना चल रही है अथवा इसका प्रायोगिक कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार और वर्ष-वार कितने लाभार्थियों का उपचार किया गया है और कितनी धनराशि आबंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना का विस्तार आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में करने का विचार रखती है और यदि हां, तो समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय उच्चतम सीमा और समय-सीमा की पर्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ग) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 (स्कीम) को अखिल भारतीय स्तर पर का.आ. 2015(अ), दिनांकित 5 मई, 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है और योजना के दिशानिर्देश का.आ. 2489(अ), दिनांकित 4 जून, 2025 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन के उपयोग से हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, वह देश भर में किसी भी निर्दिष्ट अस्पताल में दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अधिकतम समय सीमा के अध्यधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक के उपचार का हकदार होगा।

(ख) मार्च 2024 में 6 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रायोगिक कार्यक्रम की शुरुआत से 31 जुलाई, 2025 तक 4,971 सड़क दुर्घटना पीड़ितों का इलाज किया जा चुका है। इसके अलावा, जिन मामलों में

उल्लंघंकर्ता मोटर वाहन का बीमा किया गया है, उनके लिए इस योजना को सामान्य बीमा कंपनियों के अंशदान से संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है और बीमित मोटर वाहनों के अलावा अन्य मोटर वाहनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीमित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए योजना के तहत आवंटित बजटीय निधि 272 करोड़ रुपये है।

(घ) जी हाँ, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा की पर्याप्तता के संबंध में एक आकलन किया गया है। विश्लेषण से पता चला है कि आघात संबंधी अधिकांश उपचार 1,50,000 रुपये की लागत और 7 दिनों की अवधि के भीतर कवर हो जाते हैं।

*****